

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक १४ अ-८२/१६-१७ ५०३।

बैतूल दिनांक २८ - ०२-२०१८

प्रारंभिक अधिसूचना

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में

वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-१

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हेक्टर)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक का वर्णन	प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	सोनोरी	11.009	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	सोनोरी जलाशय	

अनुसूची - २

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा है
1	2	3	4	5
1	दौलत वल्द इटू जाति कुन्ही सा.देह भूमि स्वामी	31/1	6.119	0.445
2	अशोक वल्द चिन्ध्या जाति पंवार सा.देह भूमि स्वामी	32/4	2.622	0.809
		32/6	0.260	0.200
3	देवराव वल्द भगवान जाति कुन्ही निवासी ग्राम पिपला भूमि स्वामी	32/5	0.823	0.445
4	राजेश वल्द शेषराव जाति पंवार	32/7	0.578	0.261
5	दिलीप वल्द चिन्ध्या जाति भोयर सा. देह भूमि स्वामी	32/27	0.138	0.138
6	अशोक व. चिन्ध्या जाति पंवार सा.देह भूमि स्वामी	32/25	0.138	0.138
7	शेषराव वल्द चिन्ध्या कला ममता पिता चिन्ध्या जाति पंवार सा. देह	32/8	0.414	0.414

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
8	मनोज वल्द गोविन्दराव सा. देह भूमिस्वामी	32/9	1.360	0.264
		32/18	0.412	0.162
9	दिपक वल्द गोविन्दराव जाति पंवार सा. देह भूमि स्वामी	32/10	1.360	0.121
10	रविशंकर वल्द गोविन्दराव पंवार सा. देह भूमि स्वामी	32/11	1.360	0.121
11	शांता गोविन्दराव, ललीता गीता, संगीता पिता गोविन्दराव जाति सा.देह	32/19	0.633	0.633
12	निर्जूला बेवा बलवंत, संदीप व. बलवंत, कंचन, संध्या, कल्पना पिता बलवंत जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी	34/1	0.580	0.580
		37/2	0.350	0.350
		37/3	0.330	0.330
		39/1	1.235	0.506
13	नथ्या वल्द भोज्या जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी	34/2	0.584	0.584
		37/1	0.660	0.660
		37/4	0.32	0.320
		39/2	0.870	0.405
14	मोल्ही पिता सरज्या जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी	34/3	0.580	0.580
		37/5	1.302	0.809
		39/3	2.095	0.526
15	बाया पति पंढरी जाति कुन्बी सा. कामथ	60/1	0.434	0.081
16	सूर्यभान वल्द सीताराम जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी	60/2	0.869	0.045
17	सुनिता बेवा तुलसीराम पूजा पिता तलसीराम सुभम वल्द तुलसीराम जाति कुन्बी सा.देह भूमि स्वामी	60/3	0.869	0.041
18	मुन्नालाल वल्द शिवजी जाति पंवार सा.देह भूमि स्वामी	61/1	0.137	0.137
		61/5	0.238	0.041
		62/2	0.303	0.061
19	मदनलाल वल्द शिवजी जाति पंवार सा.देह भूमि	61/2	0.215	0.101
		62/1	0.547	0.324

→ ३ →

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा है
1	2	3	4	5
20	किशोरीलाल वल्द शिवजी जाति पंवार सा. देह भूमि स्वामी	62/3	0.647	0.324
21	राजेश, रामदीन वल्द किशोरीलाल जाति पंवार सा.देह	61/3	0.154	0.053
	कुल योग	34	29.536	11.009

1— चूंकि सौनोरी लघु जलाशय हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट पृथक से तैयार की जा रही है ।

2— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3— कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4— समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(शशांक मिश्र) १५

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ०को अ-82/वर्ष 17-18/HC31

बैतूल दिनांक 22-3-2018

प्रतिलिपि:-

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना घट्ट पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चर्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चर्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चर्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सोनोरी तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।


कलेक्टर बैतूल एवं समूचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग